न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 168/2021
जीसीएमएस न0 2021/00342

1. शांतिबाई पत्नी सत्यनारायण जी तेली निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

——— प्रार्थिया

बनाम

1. हीरालाल पिता केशुरामजी मीणा निवासी आचारी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

——— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांकः– 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 297 के आराजी नंबर 493 रकबा 0.1400 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात जिसके पुराने आराजी नं० 587/334/1 रकबा 19 बिस्वा जिसके नये आराजी नं0 493 है उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया वक्त खरीद से प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही थी उक्त आराजीयात जिसका पुराने नक्षा ट्रेस में सही रुप से तरमीम था, तथा वर्तमान सेटलमेन्ट के नया नक्षे ट्रेस में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया है जहां पर प्रार्थीया काबिज हैं वहां वर्तमान नक्षा ट्रेस में प्रार्थीया की आराजीयात के पूर्व दक्षिणी दिशा मे विपक्षी नं० 1 की आराजी नं0 841/495 को दर्शा दिया है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की है और प्रार्थीया की पुराने आराजी नं0 587/334/1 के पूर्वी दक्षिणी दिशा में पुराने आराजी नं0 587/334/1 जो पुराने नक्षा ट्रेस मे सही तरमीम चली आ रही है और मौके पर प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीया की पुराने आराजी नं0 587/334/1 जिसके नये आराजी नं0 493 को नवीन नक्षा ट्रेस में छोटा कर दिया है ओर जबकि विपक्षी नं0 1 की आराजीयात पुराने नक्षा ट्रेस में अन्य जगह स्थित है और अन्य जगह ही विपक्षी का कब्जा है मौके पर जहां प्रार्थीया का कब्जा है वहां विपक्षी नं0 1 की आराजीयात को गलत रुप से दर्शा दिया गया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रुप से तरमीम हो गया हैं तथा उक्त नवीन नक्षा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीया का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीया का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:36 IST
Reason: Self Attested

काबिज अनुसार, नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी नंबर 1 ने जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी और निवेदन किया कि प्रार्थीया के राजस्व रेकॉर्ड में खाता संख्या 297 पर आराजी न. 493 रकबा 0.14 हैक्टेयर जमाबंदी 2077–2080 पर अंकर होकर नवीन सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी 2052–2055 के खाता नंबर 86 पर कुल किता 1 आराजी 587/334 रकबा 1 बीघा भूमि फुला पिता सेवाराम कुलमी सा.देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी, उक्त खातेदार द्वारा जरिये विक्रय ना.करण 497 से रमेशदास पिता गोवर्धन दास बैरागी सा. नयागांव तहसील जावदा म.प्र. को उक्त आराजी में से एक बिस्वा भूमि विक्रय की गयी। तत्पश्चात् खातेदार के शेष रकबा 111/8 बीस्वा भूमि शेष रही जिसका नवीन सेटलमेंट विभाग द्वारा मीलान क्षेत्रफल तैयार कर साबिक आराजी का नवीन खसरा 493 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि बनाकर खातेदार के वारिसान रामसिंह, हरिसिंह, उगमसिंह पिता फुला कुलमी के नाम दर्ज किया गया है। उक्त समस्त खातेदारों ने विक्रय प्रार्थीया शांतिबाई पत्नी सत्यनारायण तेली के नाम दर्ज किया गया जो जमाबंदी 2007–2070 के खाता नंबर 199 पर विक्रय का दाखला लगा हुआ है। आज दिनांक तक प्रार्थी के नाम अंकित होकर एन.एच. 79 में अवाप्त रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हो चूकी है तथा शेष रकबा 0.14 हैक्टेयर वर्तमान रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज रेकॉर्ड किया हुआ है। जबकि नक्शे में साबिक रेकॉर्ड आराजी नंबर 587/334 रकबा 111/8 के हाल आराजी नंबर 493 रकबा 0.24 हैक्टेयर होकर सड़क निर्माण में अवाप्त 0.10 हैक्टेयर को कम किये जाने पर रकबा 0.14 हैक्टेयर शेष रहता है। प्रार्थीया द्वारा साबिक आराजीयात का नक्शा पमावली में अनुपलब्ध कराया गया तथा मौके पर प्रार्थीया ने पूर्ण रकबा 0.14 हैक्टेयर पर कब्जा किया हुआ है। प्रार्थीया की आराजी के दक्षिण दिशा की तरफ आराजी नंबर 841/495 का अंकन नक्शे मे किया जो साबिक आराजी 584/334 से बनाया गया। मौके पर प्रार्थीया की भूमि पूर्ण होकर सड़ निर्माण तथा शेष पड़त है। प्रार्थीया की आराजी साबिक रेकॉर्ड नक्शा में नक्शा नवीन में अंकन सही किया जाना चाहा जाने से साबिक ट्रेस आराजी की अनुपलब्ध है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:36 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम जलिया की आराजी नम्बर 493 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि में मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकॉर्ड में पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि चाही गई। प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:36 IST
Reason: SelfAttested